(4) Minority Certificate

Minority Certificate (RTE)

कार्यालय आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
द्वितीय तल खण्ड घ सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश

प्रमाण पत्र

क्र0 / अ.स / 545 / 2019 / सत्रह--2 / 3059 भोपाल दिनांक 16 / 07 / 2019

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं प्रमाण पत्र देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया संशोधन 2015 के अनुसार क्वींस कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा संचालित भोपाल गर्ल्स स्कूल एस--1 पंचवटी कालोनी एयरपोर्ट रोड़ भोपाल म.प्र. को कार्यालय कलेक्टर भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 118 दिनांक 21 / 05 / 2019 में स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही प्रतिवेदन के आधार पर की गई अनुशंसा एवं दिनांक 19.03.2014, 02.01.2016 एवं 25.10.2017 को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर स्थाई प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में यह मान्यता दी जाती है।

1. जो एजेन्सी शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन कर रही है, उसका संवैधानिक स्वरूप होना अनिवार्य है उदाहरणार्थ – फर्म एवं समिति पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिये।
2. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं होगा।
3. शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय / मण्डल / विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा जायेगा।
4. संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।
5. संस्था के शिक्षकीय एवं गैर--शिक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।
6. भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय / मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश लागू होंगे। संस्था संचालन के लिये योग्य शिक्षकों एवं अन्य अमले हेतु उम्मीदवारों को भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाये।
7. संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के ही रखे जायें तथा योग्यता में शिथिलता नहीं की जावेगी।
8. वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थायें जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर रही है, गैर अल्पसंख्यकों को धर्म जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकेगी।
9. किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन / पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

--2--

10. अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।

11. संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरुप केन्द एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित विषय भी लागू होंगे।

12. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में से पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दे रही संस्था को इससे बाहर रखा गया है अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का विश्वविद्यालय/मंडल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।

14. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा। ''केपीटेशन फीस'' लिये जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

15. कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के संस्था का निरीक्षण करने अथवा करवाने का अधिकार होगा।

16 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न अभिलेखों के असत्य पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है ।

(नस्ती क्र. 59 दिनांक 16/07/2019 पर अनुमोदित)

(रमेश एस थटे)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश
16.7.19

पृ0क्र0/अ.स/545/2019/सत्रह–2/3054
भोपाल दिनांक 16 /07/2019

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, म0 प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर भोपाल म0प्र0 के पत्र क्र. 118 दिनांक 21/05/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. सचिव, भोपाल गर्ल्स स्कूल एस–1 पंचवटी कालोनी एयरपोर्ट रोड भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

(रमेश एस थटे)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश
16.7.19